छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 267/2007</u>

1. श्री राकेश मिश्रा, - अपीलार्थी
दुर्गाजी मंदिर के पास,
रिसाली, भिलाई
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, - प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 12 अक्टूबर, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राकेश मिश्रा ने दिनांक 05.10.2006 को जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के यहाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.12.2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु वहाँ भी सुनवाई नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 22.02.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि संलग्नीकरण की कार्यवाही जिला पंचायत कार्यालय से भी की जाती है और उनके द्वारा आवेदन प्राप्त होते ही समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी से जानकारी संकलित करने का प्रयास किया गया और जानकारी प्राप्त होते ही माह मार्च में जानकारी निःशुल्क प्रदान करा दी गई । इस संबंध में अपीलार्थी ने यह बताया कि उन्हें दो तरह की जानकारी दी गई है, एक बार निरंक जानकारी दी गई तथा बाद में कुछ अधिकारियों के संलग्नीकरण से संबंधित जानकारी दी गई है । चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी, अतः प्रति अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ से ही किया गया और जो-जो जानकारी प्राप्त हुई,

वह प्रदान की गई है । जिन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दी गई है अथवा त्रुटिपूर्ण दी गई है, उनके संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक

अनुशासनात्मक कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावे तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी भविष्य में समयावधि में प्रथम अपील की सुनवाई कर आदेश पारित करने के लिए सचेत किया जाता है । प्रकरण में बहस के दौरान यह प्रतीत हुआ कि समायोजन, संलग्नीकरण इत्यादि के संबंध में काफी भ्रमात्मक स्थिति है और संभवत: शासन द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन कर ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में काफी संख्या में संलग्नीकरण किये जा रहे हैं । अत: इस संबंध में संचालक, लोक शिक्षण को निर्देशित किया जाता है कि वे विशेष रूप से दुर्ग जिले में संलग्नीकरण के बारे में पूरी स्थिति का परीक्षण कर ले और नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध कोई संलग्नीकरण पाया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाकर आवेदक को सही जानकारी एक माह में प्रदान की जावे । चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में जानकारी समय पर देने का प्रयास किया गया था और जानकारी छुपाने की दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है । अत: इस प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 300/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त